न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

पीठासीन अधिकारी – रतन कौर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 37/2026

1– रेखा देवी
2– करमा देवी
पुत्रियां श्रीकिशन
3– श्री सत्यनारायण
4– श्री राकेश
5– श्री रवि
पुत्रगण श्रीकिशन
6– प्रियंका देवी पुत्री श्रीकिशन
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम मानपुरा, तहसील व जिला अजमेर
7– श्री पुसा राम पुत्र श्री गंगा राम, जाति जाट, निवासी ग्राम रामनेर ढाणी, तहसील व जिला अजमेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

श्री रोडू राम पुत्र श्री गंगा राम, जाति जाट, निवासी ग्राम रामनेर ढाणी, तहसील व जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री तुलवीर सिंह चौहान, वकील प्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक – 17.04.2026

1. प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इसी उनवान वाद के साथ प्रस्तुत किया है। साथ ही वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2026 को प्रस्तुत कर अप्राथी श्री रोडू राम द्वारा विवादग्रस्त भूमि में से उसके हिस्से की कृषि भूमि रकबा 0.59 है0 से अधिक लगभग रकबा 0.79 है0 भूमि का बेचान किया जाने का कथन करते हुए विवादित कृषि भूमि बाबत फौजदारी व अन्य वाद बाहुल्यता के मध्यनजर मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजियात खाता संख्या 340 जिसके खसरा संख्या 579 रकबा 0.7100 है0, खसरा संख्या 610 रकबा 0.0300 है0, खसरा संख्या 613 रकबा 0.1100 है0, खसरा संख्या 614 रकबा 0.2000 है0, खसरा संख्या 627 रकबा 0.3400 है0, खसरा संख्या 646 रकबा 0.2000

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

है0 एवं खसरा संख्या 647 रकबा 0.1800 कुल किता 7 कुल रकबा 1.77 है0 ग्राम रामनेर ढाणी, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजियात का प्रार्थीगण व अप्रार्थी के के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हुआ है एवं संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थी विधिवत बंटवारा कराये बिना गैर कानूनी तरीके से आराजियात को बेचने पर उतारू है एवं कभी भी बेचान कर सकता है जबकि आराजियात पुश्तैनी होने से प्रार्थीगण का जन्म से ही हिस्सा निहित है। वादकारण दिनांक 03.04.2026 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी ने सम्पूर्ण पुश्तैनी आराजियात अप्रार्थी के तनहा नाम से दर्ज होने के कारण अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने के ईरादे से मौके पर जाकर भूमि बताई और अजनबी व्यक्तियों को बुलाकर तारबंदी कराना शुरू कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा कारण पूछने पर अप्रार्थी द्वारा कठोर शब्दों में धमकी दी गई कि मैं पुश्तैनी जमीन को बेचान करने जा रहा हूँ, तुम जो चाहे ताकत लगा लेना। मैं समस्त भूमि को बेचकर ही रहूँगा और दस लाख रूपये बतौर साई प्राप्त कर चुका हूँ, जिससे वादकारण उत्पन्न होकर आज दिनांक लगातार जारी है। बिना बंटवारा करवाये अप्रार्थी संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि को बय बख्शीश व मुन्तकिल करने में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा होगी एवं अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में अंकित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखल नहीं करने तथा रहन, बेचान व मुंतकिल करने अर्थात मौके एवं रिकार्ड में किसी प्रकार से परिवर्तन करने से अप्रार्थी एवं उनके नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार, असाईनीज, मुख्त्यार इत्यादि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. हमने विद्वान वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश जमाबन्दी सम्वत 2041 में ग्राम रामनेर ढाणी के साबिक खसरा संख्या 565, 566, 574, 576, 580 व 589 में मूल खातेदार गंगाराम वल्द जगन्नाथ कौम जाट की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 16.03.1986 मृतक गंगाराम के बजाय वारिस मु0 तीजूड़ी बेवा गंगाराम, पुसा राम, रोडू व श्री किशन वल्द गंगाराम कौम जाट के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का अंकन है। इसके पश्चात विरासत नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 25.11.2000 मृतक तीजुड़ी के स्थान पर पुसाराम, रोडूराम, श्री किशन पि0 गंगाराम कौम जाट के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में उक्त आराजियात के वर्तमान खसरा संख्या 579, 610, 613, 614, 627, 646 व 647 में पूसाराम, रोडूराम, श्री किशन वल्द गंगाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थना पत्र में अंकित मूल खातेदार श्री गंगाराम के पारिवारिक सजरे अनुसार पुसा राम, रोडू राम, किशन (नाऔलाद फौत)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

पुत्रगण श्री गंगाराम व मांगी देवी (फौत) पुत्री श्री गंगाराम एवं मांगी देवी के वारिसान में रेखा देवी, करमा व प्रियंका पुत्रियां मांगी देवी, सत्यनारायण, राकेश व रवि पुत्रगण मांगी देवी का अंकन किया गया है। उक्त पारिवारिक सजरे अनुसार मूल खातेदार श्री गंगाराम का एक पुत्र किशन होने व उसके नाऔलाद फौत होने का तथ्य हमारे समक्ष प्रकट आया है। साथ ही वकील प्रार्थीगण ने मांगी देवी को मूल खातेदार श्री गंगाराम की पुत्री एवं वादी संख्या 1 से 6 की माता एवं श्रीकिशन की पत्नि होने का कथन भी किया है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2041 में अंतरण के कॉलम में वर्णित विरासत नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 16.03.1986 व नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 25.11.2000 में गंगाराम के वारिसान के रूप में उसकी पत्नि व पुत्रों के नाम विरासत का अंकन किया गया है जबकि मांगी देवी गंगाराम की पुत्री होने के उपरान्त भी विरासत में उसका नाम अंकित नहीं है जबकि वह सह–उत्तराधिकारी रही है। वकील प्रार्थीगण ने भी इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज/अभिलेख न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये हैं। वकील प्रार्थीगण अभिलेखीय साक्ष्य से यह साबित नहीं कर पाये हैं कि जब मांगी देवी मूल खातेदार गंगाराम की पुत्री थी एवं विरासत नामान्तरकरण में उसका नाम अंकित नहीं होने के उपरान्त भी सीधे ही उसके पुत्र/पुत्रियों की वल्दियत में उसके पति श्रीकिशन का नाम कैसे अंकित हुआ एवं ये मांगी देवी के ही पुत्र/पुत्रियां हैं, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार मांगी देवी का पति होने की दशा में भी वह प्रथम श्रेणी के वारिस के अन्तर्गत नहीं आता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त वर्णित विवादित आराजियात में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है। प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी उक्त भूमि में संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज है। विधि के प्रतिपादित प्रावधानों के तहत संयुक्त खातेदार को अपने सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं है। संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक हिस्से पर कानूनन अधिकार होता है। प्रार्थीगण विवादित आराजियात में रिकॉर्डेड खातेदार है तथा खातेदारी में प्रार्थीगण का हक हिस्सा निर्धारित है। जिसका विधिवत बंटवारा करवाने हेतु उन्होने पृथक से न्यायालय में वाद पेश कर रखा है। जिसे वे साक्ष्य सबूतों के आधार पर सिद्ध करे। अप्रार्थी भी उक्त आराजियात में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है व उनका हक हिस्सा भी निर्धारित है। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को उनके हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करने के अधिकारी नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये प्रार्थीगण को तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति को सिद्ध करना आवश्यक था। विवादित आराजियात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा प्रत्येक का राजस्व रिकॉर्ड में हक हिस्सा अंकित है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण व अप्रार्थी अपनी सुविधा के अनुसार मौके पर करते आ रहे हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) * अजमेर *

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त रूप से कब्जे काश्त में चले आ रहे हैं एवं मौके पर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को किस प्रकार हो रही है, यह साबित करने में असफल रहे हैं, जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है एवं प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) * अजमेर *

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मु.मु.)
अजमेर